न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—493 / 2016 / 223(2016 / 00493)

1. गिरधारी पुत्र देवा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम चांवडिया, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रतनलाल पुत्र हरदेव,
2. उगमाराम पुत्र हरदेव,
   दोनों जाति गुर्जर, निवासी ग्राम किराप, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा , दिनांक 30.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 63 / 2010.

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—25.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में प्रतिवादी / रेस्पो0 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 1709 रकबा 1—11—00, खसरा नंबर 1287 रकबा 1—3—00, खसरा नंबर 1288 रकबा 00—03—10, खसरा नंबर 1299 रकबा 00—18—10, खसरा संख्या 1593 रकबा 00—16—00, खसरा संख्या 1612 रकबा 01—05—00, खसरा संख्या 1631 रकबा 00—15—10 भूमि वाके ग्राम चावण्डिया, तहसील मसूदा में स्थित है । उक्त वादग्रस्त भूमि में खसरा संख्या 1709 में श्रीमती साली बेवा मोडा का 1 / 2 हिस्सा तथा शेष आराजियात के खातेदारी साली बेवा मोडा एवं मोडा दोनों की सेवा सुरक्षा वादी ने की तथा वादी ने ही दोनों संपूर्ण सामाजिक कार्य जो उनके

जीवन पर्यन्त एवं मरणोपंरात अपीलांट ने ही किये है । वादी लगभग 40 वर्षो से खातेदार काबिज चला आ रहा है तथा वादी/अपीलांट खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान है । उक्त आराजी जिस पर अपीलांट काबिज चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा वादी के पक्ष में खातेदारी व मालिकाना अधिकार का इंद्राज नहीं किया गया है इसलिये यह वाद प्रस्तुंत किया है । अतः वाद स्वीकार कर वादी/अपीलांट को विवादित आराजियात का खातेदारा काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये । तत्पश्चात् वादी/अपीलांट की और से नियुक्त अभिभाषक ने दिनांक 30.6.2016 को वादी/अपीलांट की ओर से पैरवी नहीं करने बाबत् आदेशिका में हस्ताक्षर कर निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट के न्यायिक हितों को दरकिनार करते हुए दिनांक 30.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का बिना अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णरू पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त वाद दिनांक 28.9.2010 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये तत्पश्चात् पत्रावली वादी/अपीलांट की साक्ष्य में विचाराधीन थी किन्तु वादी/अपीलांट की और से नियुक्त अभिभाषक श्री नंदकिशोर मिश्रा ने दिनांक 30.6.2016 को अपीलांट की और से वाद में पैरवी नहीं करने बाबत् निवेदन किया जिसकी सूचना वादी के अभिभाषक द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई एवं न ही अधी0न्याया0 ने अपीलांट को इस बाबत् कोई सूचना दी । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कोई संबंध नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.6.2016 निरस्त किया जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में साक्ष्य ली जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष उनके अधिवक्ता द्वारा वाद में पैैरवी नहीं करने का निवेदन किये जाने की सूचना अधिवक्ता एवं अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को नहीं दी जिससे अपीलांट अपने हितों की रक्षा हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष अन्य अभिभाषक नियुक्त नहीं कर सके तथा न ही अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा में उनके वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने की जानकारी समय पर हो सकी थी । अपीलांट द्वारा दिनांक 25.9.2015 को प्रकरण के बारे में अधिवक्ता से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 30.6.2016 को कैम्प में खारिज हो चुका है तत्पश्चात् अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने के उपरांत फीस इत्यादि की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील

में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात के खातेदार साली बेवा मोडा थी तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 साली बेवा मोडा की एकमात्र पुत्री के पुत्र होकर साली बेवा मोडा के विधिक वारिसान है। अपीलांट का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है तथा न ही अपीलांट साली का विधिक वारिसान ही है । विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजियात बाबत वाद प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 28.9.2010 को अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी हेते सम्मन जारी करने के आदेश दिये । दिनांक 27.1.2011 को अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री ओ0पी0 कलवार ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा । प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अधी0न्याया0 ने वाद में पांच तनकियात कायम की गई । पत्रावली वादी/अपीलांट की शहादत में लगभग 17 पेशियों तक चली तत्पश्चात् दिनांक 14.6.2013 को वादी/अपीलांट की शहादत बंद की गई है । तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 30.6.2016 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मुख्यालय सतावदिया पर रखी गई । इसी दिनांक को वादी/अपीलांट के अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर पैरवी नहीं करने की हिदायत दी तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने वादी को आवाजें दिलवाई गई किन्तु वादी के अनुपस्थित रहने पर वादी/अपीलांट के वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त कर दिया । वादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा वाद में पैरवी नहीं करने बाबत् हिदायत दिये जाने की सूचना अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई एवं न ही अधी0न्याया0 द्वारा इस संबंध में वादी/अपीलांट को कोई सूचना ही दी गई है । अधिवक्ता द्वारा वाद में पैरवी नहीं करने की हिदायत दिये जाने पर न्यायालय का यह कर्त्तव्य था कि वे वादी/अपीलांट को इस बाबत् सूचना देते जिससे वादी अपने हितों की रक्षा हेतु अन्य अभिभाषक को नियुक्त करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वादी/अपीलांट के वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.6.2016 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय दिनांक 30.6.2016 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित

किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पक्षकारान दिनांक 2.5. 2019 को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होवें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर